जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-07.07.2025**

प्रेस नोट

थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 07.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सोमपाल कश्यप पुत्र खेमचन्द निवासी कुरमाली थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 400 ग्राम चरस व मादक पदार्थ की तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद ।

आज दिनांक 07.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 400 ग्राम चरस व मादक पदार्थ की तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.साकिर पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 400 ग्राम चरस।

2.मादक पदार्थ की तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल रजि न0 यूपी 19 वी 3310।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री ओंकरनाथ पाण्डेय थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 रविन्द्र तोमर थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 नरेश सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

4.है0का0 अरविन्द कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

6.का0 सूर्यप्रताप थाना कांधला जनपद शामली।

प्रेस नोट

थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम मलकपुर में कोटे के सामान को लेकर दो पक्षों में हुए झगडे के सम्बन्ध में शांति व्यवस्था के मध्य नजर प्रथम पक्ष के 1.मनव्वर पुत्र मशरूक 2.सद्दाम पुत्र माजिम 3.नासिर पुत्र रफीक 4.नदीम पुत्र नासिर निवासीगण ग्राम मलकपुर थाना कांधला जनपद शामली व द्वितीय पक्ष के 1.अशीक पुत्र इलियास निवासी मौ0 इकरामपुरा कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली, 2.अमजद पुत्र अलीनवाज निवासी ग्राम मलकपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस की कार्यवाही की गई है।

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार थाना कांधला शामली।

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना कांधला शामली ।

2.है0का0 नरेश सिंह थाना कांधला शामली।

3.है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कांधला शामली।

4.है0का0 अरविन्द्र कुमार थाना कांधला शामली।

5.है0का0 मनोज कुमार थाना कांधला शामली।

6.का0 राजवीर सिंह थाना कांधला जिला शामली ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग अलग 05 मामले में 07 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 10,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2010 में अभियुक्त विनोद पुत्र सहला निवासी ग्राम हुरमजपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 312/2010 धारा 506 भादवि व 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2016 में अभियुक्त सचिन पुत्र रामकुमार निवासी डेरा भगीरथ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 360/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2022 में अभियुक्तगण विरेन्द्र पुत्र सुखवीर व नरेन्द्र पुत्र चोहल निवासीगण ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 473/2022 धारा 4/10 वन अधि0 व 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधि में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.- वर्ष 2009 में अभियुक्त कृष्ण पुत्र हवा सिंह निवासी ग्राम शहरमालपुर थाना सिंभालका जनपद पानीपत(हरियाणा) के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 602/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.- वर्ष 2024 में अभियुक्तगण प्रिंस पुत्र प्रमोद निवासी दयानन्दनगर थाना कोतवाली शामली व मुस्तफा पुत्र शौकत निवासी हरेन्द्र नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 719/2025 धारा 5/98 विस्फोटक अधिनियम में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।